



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032022-233798
CG-DL-E-02032022-233798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 838]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2022/फाल्गुन 9, 1943

No. 838]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022/PHALGUNA 9, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

का.आ. 868(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH१६१A के कि.मी. ५२.७३० से कि.मी. ९९.२५० कुंद्राल से वझर तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१५/१२/२०२१" को "लोकमत" और "लोकमत टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (२) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH१६१A के कि.मी. ५२.७३० से कि.मी. ९९.२५० कुंद्राल से वझर तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नांदेड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: देगलुर				
	गांव का नाम: वझर				
1	290	निजी	एग्रीकल्चर	0.02	कोंडिबा रामजी पांढरे (२९०)
	तालुक का नाम: मुखेड				
	गांव का नाम: डोरनाली				
1	1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0024	पांडुरंग संभाजी गुडेमवार यांचा ताबा, 7/12 प्रमाणे विनायक पिता श्रीरामे, मंजुळाबाई पुंडलिक गुडमे, पांडुरंग नागोराव जाधव, पांडुरंग नागोराव, व्यंकट चंद्रकांत कोदरे, परमेश्वर हनमंत मुगवाने (१)
2	1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0147	बाळासाहेब गंगाधर जाधव यांचा ताबा, 7/12 प्रमाणे विनायक पिता श्रीरामे, मंजुळाबाई पुंडलिक गुडमे, पांडुरंग नागोराव जाधव, पांडुरंग नागोराव, व्यंकट चंद्रकांत कोदरे, परमेश्वर हनमंत मुगवाने

					(१)
3	227	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	चंद्रकांत भारत पांचाळ (२२७)
4	228	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	विठ्ठल धोंडीबा पांचाळ (२२८)
5	228	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	लक्ष्मीबाई बाबूराव पांचाळ (२२८)
6	229	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	दत्ता नामदेव देवकते (२२९)
7	42	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	धोंडिबा ग्यानोबा शिंदे, सत्यकलाबाई धोंडीराम शिंदे (४२)
8	43	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	कमलबाई श्रीराम जाधव (४३)
गांव का नाम: निवळी					
9	34	निजी	एग्रीकल्चर	0.1	नागनाथ अशोक पाटील (३४)
10	34	निजी	एग्रीकल्चर	0.05	दत्ता आबाजी होकर्णे (३४)
गांव का नाम: वडगाव					
11	141	निजी	एग्रीकल्चर	0.0006	कमलबाई मारोती चव्हाण (१४१)
12	9	निजी	एग्रीकल्चर	0.0147	रामानंद मारोती देवकते (९)
13	9	निजी	एग्रीकल्चर	0.0147	लक्ष्मण मारोती देवकते (९)
गांव का नाम: वंडगीर					
14	48	निजी	एग्रीकल्चर	0.03	रामचंद्र इरना अन्नमवार (४८)
			कुल	0.3071	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 2022

S.O. 868(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH161A on the stretch of land from Km. 52.73 to Km. 99.25 Kundral to Wazar in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat” and “Lokmat Times” both dated 15/12/2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH161A in the stretch of land from km. 52/730 to 99/250 Kundral to Wazar in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA District: NANDED					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Deglur				
	Village: Wazar				
1	290	Private	Agriculture	0.02	Kondiba Ramaji Pandhare 290
	Taluk: Mukhed				
	Village: Dornali				
1	1	Private	Agriculture	0.0024	Pandurang Sambhaji Gudemwar yancha taba, 7/12 pramane vinayak Pi Shirram, Manjulabai Pundlik Gudme, Pandurang Nagorao Jadhav, Pandurang Nagorao, Vyankat Chandrkant Kodre, Parmeshwar Hanmant Mugave 1
2	1	Private	Agriculture	0.0147	Balasaheb Gangadhar Jadhav yancha taba, 7/12 pramane vinayak Pi Shirrame, Manjulabai Pundlik Gudme, Pandurang Nagorao Jadhav, Pandurang Nagorao,

					Vyankat Chandrkant Kodre, Parmeshwar Hanmant Mugave 1
3	227	Private	Agriculture	0.01	Chandrkant Bharat Panchal 227
4	228	Private	Agriculture	0.01	Vitthal Dhondiba Panchal 228
5	228	Private	Agriculture	0.01	Laxmibai Baburao Panchal 228
6	229	Private	Agriculture	0.01	Datta Namdev Devkatte 229
7	42	Private	Agriculture	0.01	Dhondiba Gyanoba Shinde, Satykalabai Dhondiram Shinde 42
8	43	Private	Agriculture	0.01	Kamalbai Shriram Jadhav 43
	Village: Nivali				
9	34	Private	Agriculture	0.1	Nagnath Ashok Patil 34
10	34	Private	Agriculture	0.05	Datta Aabaji Hokarne 34
	Village: Wadgaon				
11	141	Private	Agriculture	0.0006	Kamalbai Maroti Chavan 141
12	9	Private	Agriculture	0.0147	Ramanand Maroti Devkatte 9
13	9	Private	Agriculture	0.0147	Laxman Maroti Devkatte 9
	Village: Wandgir				
14	48	Private	Agriculture	0.03	Ramchandre Iranna Annamwar 48
			TOTAL	0.3071	

[F. No. RW/NH/12014/21/2017/MAH-P6/3D]

RAJESH GUPTA, Director